

जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है।

- अज्ञात

## टेलिकॉम कंपनियों को राहत से इंकार

दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अगर समय रहते राजस्व आकलन का मामला सुलझा लिया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन इस उलझाव के समानांतर दूरसंचार कंपनियां भी बुरी तरह आपसी होड़ में उलझी रहीं।

नवीन वर्मा।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को उनके सरकारी बकाये में राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्राँस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में कोर्ट ने कहा है कि टेलिकॉम कंपनियों पर बकाया राशि का फिर से आकलन करना कोर्ट की अवमानना होगी।

कंपनियों ने पिछले 18 वर्षों में जिस घोषित नीति के तहत कमाई की है, उसी के तहत उन्हें भुगतान भी करना होगा। अगर सरकार ने उन्हें एजीआर का हिस्सा नए सिरे से करने की इजाजत दी तो यह धोखा होगा। एजीआर विवाद में कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए टेलिकॉम कंपनियों को ब्याज और पेनल्टी समेत बकाया चुकाने का आदेश दिया था। दूरसंचार विभाग के

मुताबिक टेलिकॉम कंपनियों पर उसके 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं, लेकिन वे 'सेल्फ-असेसमेंट' कर पार्ट पेमेंट कर रही हैं। हाल में दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर टेलिकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए 20 साल का समय देने पर विचार करने की अपील की थी। साथ ही बकाये पर पेनल्टी और ब्याज में राहत देने का अनुरोध भी किया था। कोर्ट ने इस अपील के एक पहलू को साफ टुकराते हुए कहा है कि कंपनियों को बकाया, ब्याज और पेनल्टी बीते 24 अक्टूबर के फैसले के मुताबिक ही चुकानी होगी। इसके दूसरे पहलू यानी दूरसंचार क्षेत्र के संकटग्रस्त हो जाने की दलील पर दो हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा, जहां कंपनियां भुगतान की अवधि बढ़ाए जाने

की उम्मीद कर सकती हैं।

आज जब दुनिया 5-जी की ओर कदम बढ़ा रही है, तब भारत में दूरसंचार क्षेत्र का बीमार दिखना अच्छा संकेत नहीं है। दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अगर समय रहते राजस्व आकलन का मामला सुलझा लिया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन इस उलझाव के समानांतर दूरसंचार कंपनियां भी बुरी तरह आपसी होड़ में उलझी रहीं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बनाए, भारत में मोबाइल सेवाएं दुनिया भर से सस्ती हो गईं, लेकिन गुणवत्ता का स्तर जैसे का तैसा बना रहा।

इस दौर उन्हें अपनी बैलेंस शीट का ध्यान ही नहीं रहा, या वे शायद इस भ्रम में थीं कि सरकार पर दबाव डालकर

अपनी देनदारी कम करा लेंगी। बहरहाल, अभी सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये से उनके सामने संकट गहरा गया है।

वोडाफोन-आइडिया ने पहले ही संकेत कर दिया है कि उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो उसे कर्ज देने वाले बैंक भी संकट में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि देश के दूरसंचार क्षेत्र में एक-दो कंपनियां ही रह जाएं। यह नौबत आई तो विशाल भारतीय बाजार पर उनका एकछत्र अधिकार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल वे मनमाना रेट बढ़ाने में कर सकती हैं। 5-जी और बाकी तकनीकी विकास का मामला इससे और लटक सकता है। सरकार और ट्राई को दूर की सोचकर ही कोई फैसला करना चाहिए।

## गुलामों की दुनिया

अशोक बोहरा।

ओशो कहते हैं कि आजकारिता जड़ों को काटना और फिर पेड़ के बढ़ने की उम्मीद करने जैसा है। जापान में चार-पांच सौ साल पुराने पेड़ होते हैं मगर केवल छह

धर्म-दर्शन



इंच उंचे। इस प्रकार के पेड़ तैय्यार करना भी एक तरह की कला मानी गई है। पर मेरे लिए सीधे तौर पर यह एक हत्या है। माली के कई पीढ़ियां उन पेड़ों को इस अवस्था में रखती आ रही हैं। अब भले ही यह पेड़ पांच सौ साल पुराना है मगर आप उनकी टहनियों को देख सकते हैं भले ही वह छोटा है। यह एक प्रकार का छोटा बूढ़ा आदमी है जिसके उपर पतियां लगी हैं, जिसकी टहनियां हैं और शाखाएं हैं। इसमें जो प्रक्रिया इस्तेमाल हुई है उसके अनुसार वो बिना पेंदी के मिट्टी के बर्तन में पेड़ लगाते हैं और उसके बाद वो उसके जड़ को लगातार काटते रहते हैं। जब भी जड़ बाहर निकलता है और जमीन की ओर बढ़ने की कोशिश करता है।

## संपादकीय

### जनता कर्फ्यू के बाद

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू हुआ और देशवासियों ने डॉक्टरों और अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के प्रति अपना आभार भी जताया। ऐसी कठिन घड़ी में राष्ट्रीय एकजुटता की भावना होने के साथ ही उसका दिखना भी जरूरी है। इससे सबको अपना मनोबल बनाए रखने में मदद मिलती है। यह और बात है कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में इस एक दिन के जनता कर्फ्यू से शायद ही कोई मदद मिले। कहा जा रहा है कि एक-दो दिन नहीं बल्कि हफ्तों अपने घरों में बंद रह कर ही लोग इस बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं। यह बात सही है कि यह वायरस मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है, लिहाजा संक्रमित या अनजान लोगों से शारीरिक नजदीकी इसके फैलने में मददगार होती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भारत जैसे बड़े देश को पूरा का पूरा घरों में बंद करना न तो संभव है, न ही यहां यह इस वायरस से लड़ने का सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है। चीन में यह बीमारी सिर्फ एक शहर वूहान में केंद्रित थी, इसलिए वहां इस शहर और इसके लोगों को आइसोलेशन में डालना कारगर साबित हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि वूहान के चप्पे-चप्पे पर जबर्दस्त सैनिटाइजेशन कैंपेन चलाया गया और दसियों हजार लोगों को सुविधासंपन्न अस्पतालों में भर्ती करके बहुत ज्यादा पैनिन नहीं बनने दिया गया।

निर्भया कांड के बाद देश में जबर्दस्त आक्रोश फैला और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हो गई।

## फांसी चढ़े निर्भया के हत्यारे

उत्तम सिंह।

निर्भया कांड के चारों दोषी आखिरकार फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए। इस तरह पिछले सात साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा यह मामला अपने मुकाम तक पहुंचा, जिससे न सिर्फ पीड़िता के परिजनो ने बल्कि देश भर के उन तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है, जो इस हादसे के बाद सड़क पर स्त्री की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंतित थे। हालांकि उनके भीतर इस बात की कसक भी है कि न्याय मिलने में सात साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में निर्भया के साथ छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार और क्रूरता की अति कर दी थी, जिससे हफ्ते भर जूझने के बाद उसकी मौत हो गई थी।

बलात्कारियों में से एक के नाबालिग होने की वजह से उस पर जूवेनाइल के तहत मामला चला जबकि एक ने जेल में आत्महत्या कर ली। बाकी चारों दोषियों ने फांसी से बचने के लिए सभी संभव कानूनी विकल्पों का पूरा इस्तेमाल किया और गुरुवार की रात तक इस मामले की सुनवाई चली। इन चारों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद तीन बार सजा की तामील के लिए तारीखें तय हुईं लेकिन फांसी टलती गई। लोगों में इस देरी से गुस्सा था लेकिन



अंततः शुकुवार की सुबह उन्हें फांसी दे दी गई। निर्भया कांड के बाद देश में जबर्दस्त आक्रोश फैला और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने कानूनों को सख्त रूप देने का दबाव बढ़ा।

आखिरकार इस संबंध में सुझाव देने के लिए जस्टिस वर्मा कमिटी का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के अनुरूप कई नियम-कायदे

भी बने। लेकिन कूल मिलाकर हालात अब भी ज्यादा नहीं बदले हैं।

बलात्कार के मामले पहले से कुछ बढ़ गए हैं। अलबत्ता इस बीच इतना जरूर हुआ है कि पहले से ज्यादा महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार की सूचना देने सामने आ रही हैं। पुलिस भी कम से कम बड़े शहरों में उनकी शिकायत पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगी है। लेकिन अपराधियों को दोषी ठहराए जाने की दर आज भी पुराने मुकाम पर ही अटकी हुई है।

रेप के मामलों में आज भी 27 फीसदी आरोपियों को ही सजा हो पा रही है। दोषी बड़ी संख्या में छूट जा रहे हैं। पुलिस अब भी ऐसे सबूत जुटाने में अक्षम है जो सुनवाई के दौरान ठोस साबित हों। जब यौन अपराधों पर नया कानून पारित हुआ था तो सरकार ने वादा किया था कि पुलिस को जांच की आधुनिकतम तकनीकों से लैस किया जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो यह अब तक नहीं हुआ है। कमियां और भी कई स्तरों पर हैं। असल बात हमारे सिस्टम को महिलाओं के मामले में संवेदनशील और मुस्तैद बनाने की है, ताकि सजा दिलाने की दर में वृद्धि हो।

सजा कितनी मिलती है, इससे ज्यादा अहम बात यह है कि सजा कितनी जल्दी मिलती है। जल्दी न्याय होने से ही अपराधियों में खौफ पैदा होगा।

अष्टयोग-4963									
6	1		7		5				
	33	3	35	1	27				
4						1	2		
3	35	2	37	7	32				
	4							1	
2	29	1	33	4	30	5			
1			7						4

अष्टयोग 4962 का हल									
7	5	1	3	6	4	2			
6	38	6	32	1	30	7			
2	4	7	5	3	6	1			
1	25	2	37	4	32	5			
5	1	3	6	7	2	4			
3	26	4	38	5	36	6			
4	1	5	6	2	7	3			

### अपना ब्लॉग साधनहीनों की बात

मोहना महात्मा गांधी हमेशा कतार में खड़े अंतिम आदमी की बात करते थे। लेकिन आज की सरकारें, धनसंपन्न लोग और सेलिब्रिटीज 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' की चादर झाड़ कर निश्चिंत हो जा रही हैं। कोई भी यह नहीं सोच रहा कि इन सुझावों पर अमल करना उन लोगों के लिए कितना मुश्किल साबित होने जा रहा है जिनके पास साधन नहीं हैं। इन मुश्किलों को आसान बनाने के उपायों पर कोई बातचीत फिलहाल सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिख रही। मगर ऐसा नहीं है कि कहीं इस दिशा में कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। जैसी उम्मीद की किरण केरल की सरकार से दिखती है, जिसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बीस हजार करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया है, कुछ वैसी ही रोशनी बॉलिवुड की ओर से भी तब दिखाई दी, जब चर्चित फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा ने बॉलिवुड के कुछ संवेदनशील डायरेक्टरों से अपील की कि वे उन लोगों की मदद के लिए आगे आएँ, जिनकी कमाई का जरिया रोज का श्रम है।

